

28¹/₂₆

पत्रावली पेश हुई, भूल वाड अडगदाजी
अदक पेशी में खारिज हो चुका है। भूल
वाड के खारिज हो जाने से प्रा० पत्र
212 RT Act को चलाया जाना सारहीन
श्रीत होता है। अतः प्रा० पत्र 212 RT Act
सारहीन होने से इसी सार पर खारिज
क्रिया जाता है। पत्रावली केवल शुभार
होकर नम्बर से क्रम की जाकर दारिपल
दफ्तर है।

निर्णय आज दिनांक 28-1-24
को करे इजलास • सुनाया गया।